CIT/ MATC/ D. No. 143,

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

Notification

New Delhi, the 1st day of August, 2013

INCOME-TAX

S.O.______(E).- In exercise of the powers conferred by section 90 and section 90A read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (11th Amendment) Rules, 2013.
   (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of April, 2013.

2. In the Income-tax Rules, 1962, -

   (a) in rule 21AB, for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

   "(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), for the purposes of sub-section (5) of section 90 and sub-section (5) of section 90A , the following information shall be provided by an assessee in Form No. 10F, namely:—

   (i) Status (individual, company, firm etc.) of the assessee;

   (ii) Nationality (in case of an individual) or country or specified territory of incorporation or registration (in case of others);

   (iii) Assessee's tax identification number in the country or specified territory of residence and in case there is no such number, then, a unique number on the basis of which the person is identified by the Government of the country or the specified territory of which the asseessee claims to be a resident;

   (iv) Period for which the residential status, as mentioned in the certificate referred to in sub-section (4) of section 90 or sub-section (4) of section 90A, is applicable; and

   (v) Address of the assessee in the country or specified territory outside India, during the period for which the certificate, as mentioned in (iv) above, is applicable.

SL. Ajay

(2) The assessee may not be required to provide the information or any part thereof referred to in sub-rule (1) if the information or the part thereof, as the case may be, is contained in the certificate referred to in sub-section (4) of section 90 or sub-section (4) of section 90A.

(2A) The assessee shall keep and maintain such documents as are necessary to substantiate the information provided under sub-rule (1) and an income-tax authority may require the assessee to provide the said documents in relation to a claim by the said assessee of any relief under an agreement referred to in sub-section(1) of section 90 or sub-section(1) of section 90A, as the case may be.";

(b) in Appendix-II, after Form No.10E, the following Form shall be inserted, namely:-

"Form No. 10F

[See sub-rule (1) of rule 21AB]

Information to be provided under sub-section (5) of section 90 or sub-section (5) of section 90A of the Income-tax Act, 1961

I ______________________ *son/daughter of Shri ______________________ in the capacity of ______________________ (designation) do provide the following information, relevant to the previous year ______________, *in my case/in the case of ______________ for the purposes of sub-section (5) of *section 90/section 90A : -

Sl. No.	Nature of information		Details #
(i)	Status (individual, company, firm etc.) of the assessee	:	
(ii)	Permanent Account Number (PAN) of the assessee if allotted		
(iii)	Nationality (in the case of an individual) or Country or specified territory of incorporation or registration (in the case of others)	: :	
(iv)	Assessee's tax identification number in the country or specified territory of residence and if there is no such number, then, a unique number on the basis of which the person is identified by the Government of the country or the specified territory of which the assessee claims to be a resident	:	
(v)	Period for which the residential status as mentioned in the certificate referred to in sub-section (4) of section 90 or sub-section (4) of section 90A is applicable	:	
(vi)	Address of the assessee in the country or territory outside India during the period for which the certificate, mentioned in (v) above, is applicable	:	

2. I have obtained a certificate referred to in sub-section (4) of section 90 or sub-section (4) of section 90A from the Government of ______________________________ (name of country or specified territory outside India).

Signature: ______________________

Name: ______________________

Address: ______________________

Permanent Account Number: ______________________

Verification

I ______________________ do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and is truly stated.

Verified today the ____________ day of ______________________.

Place: __________

Signature of the person providing the information

Notes :

1. * Delete whichever is not applicable.
2. # Write N.A. if the relevant information forms part of the certificate referred to in sub-section (4) of section 90 or sub-section (4) of section 90A.".

[Notification No. 57 /2013/ F.No.142/16/2013-TPL]

Ashish Kumar

(ASHISH KUMAR)
Director (Tax Policy and Legislation)

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide Notification No. S.O.969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (10th Amendment) Rules, 2013 vide notification S.O. 2166(E) dated 15-7-2013.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
[केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2013

आय-कर

का.आ........(अ). - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)की धारा 295 के साथ पठित धारा 90 और धारा 90क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (11वां संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,-

(क) नियम 21कख के उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन धारा 90 की उपधारा (5) और धारा 90क की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए किसी निर्धारिती द्वारा प्ररूप संख्या 10च में निम्नलिखित सूचना दी जाएगी, अर्थात् :-

(i) निर्धारिती की प्रास्थिति (व्यष्टि, कंपनी, फर्म आदि) ;

(ii) राष्ट्रीयता (व्यष्टि की दशा में) या निगमन या रजिस्ट्रीकरण का विनिर्दिष्ट देश या राज्यक्षेत्र (अन्य की दशा में) ;

(iii) निवास के देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में निर्धारिती की कर पहचान संख्या और यदि ऐसी संख्या नहीं है तो ऐसी कोई अनन्य संख्या जिसके आधार पर व्यक्ति की उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा पहचान की जाती है जिसका निवासी होने का निर्धारिती दावा करता है ;

(iv) वह अवधि, जिसके लिए धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में यथा उल्लिखित निवासीय प्रास्थिति लागू है ; और

(v) भारत के बाहर देश में या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में उस अवधि के लिए निर्धारिती का पता जिसके लिए ऊपर (iv) में यथा उल्लिखित प्रमाणपत्र लागू है ।

(2) निर्धारिती से उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना या उसका कोई भाग देने की अपेक्षा नहीं की जाए यदि, यथास्थिति, सूचना या उसका कोई भाग धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट है ।

(2क) निर्धारिती, ऐसे दस्तावेज रखेगा और सुरक्षित रखेगा जो उपनियम (1) के अधीन दी गई सूचना को सिद्ध करने के लिए आवश्यक हों और आय-कर प्राधिकारी निर्धारिती से, यथास्थिति, धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी अनुतोष का उक्त निर्धारिती द्वारा दावा किए जाने के संबंध में उक्त दस्तावेज देने की अपेक्षा कर सकेगा ।";

(ख) परिशिष्ट II में प्ररूप सं. 10ङ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं. 10च
(नियम 21कख का उप नियम (1) देखिए)

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 90 की उपधारा (5) या धारा 90क की उपधारा (5) के अधीन दी जाने वाली सूचना

मैं,............................... *पुत्र/पुत्री श्री .... (पदनाम) की हैसियत से *धारा 90/ *धारा 90(क) की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए *मेरे मामले में या .... *के मामले में पूर्ववर्ती वर्ष.......................... से सुसंगत निम्नलिखित सूचना देता हूं :-

क्रम सं.	सूचना की प्रकृति	ब्यौरे#
(i)	निर्धारिती की प्रास्थिति (व्यष्टि, कंपनी, फर्म आदि) :	
(ii)	निर्धारिती का स्थायी खाता संख्या (पी ए एन), यदि आबंटित किया गया हो :	
(iii)	राष्ट्रीयता (किसी व्यष्टि की दशा में) या निगमन या रजिस्ट्रीकरण का राष्ट्र या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र (अन्य की दशा में) :	

(iv)	निवास के देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में निर्धारिती की कर पहचान संख्या और यदि ऐसी संख्या नहीं है तो ऐसी कोई अनन्य संख्या जिसके आधार पर उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा व्यक्ति की पहचान की जाती है जिसका निर्धारिती निवासी होने का दावा करता है :	
(v)	वह अवधि, जिसके लिए धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में यथा उल्लिखित निवासीय प्रास्थिति लागू है :	
(vi)	देश में या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में उस अवधि के लिए निर्धारिती का पता जिसके लिए ऊपर (V) में यथा उल्लिखित प्रमाणपत्र लागू है :	

2. मैंने,...............................(भारत के बाहर देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का नाम) की सरकार से धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है ।

हस्ताक्षर...
नाम...
पता...
....
....
स्थायी खाता संख्या..........................

सत्यापन

मैं...एतद्द्वारा यह घोषित करता हूं कि जो कुछ ऊपर कथित है, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही, पूर्ण और सत्य कथित है ।

आज तारीख..को सत्यापित ।

....
सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान : ....

टिप्पणी :

1. * जो लागू नहीं हो उसका लोप करें।

2. # लागू नहीं (एन.ए.) लिखे, यदि सुसंगत सूचना धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र का भाग है।"।

[अधिसूचना सं. 57 /2013/ फा.सं.142/16/ 2013-टीपीएल]

(आशीष कुमार)
निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण.- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ.969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम संशोधन आय-कर (10वां संशोधन) नियम, 2013 अधिसूचना का.आ.सं.2166 (अ)तारीख 15.7.2013 द्वारा किया गया।